

फैक्स

संख्या- 503 /1-10-2016-33(34)/2016टी0सी0-1

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:

दिनांक: ०५ मई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा मानक के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत की गयी है। धनराशि स्वीकृति विषयक शासनादेश में यह उल्लेख किया गया है कि:-

स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

2- विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप सभी प्रभावित परिवारों के बैंक खाते उपलब्ध न होने के कारण तत्काल राहत प्रदान किये जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-

ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान किये जाने के लिये केवल दैवी आपदा मद से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित कर चेक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में नियमानुसार वितरण किया जायेगा।

कृपया संशोधित व्यवस्था के अनुसार अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

भक्तदीय,

(अनिल कुमार)

सचिव एवं राहत आयुक्त।